



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04092025-265965
CG-DL-W-04092025-265965

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 30]

नई दिल्ली, अगस्त 24—अगस्त 30, 2025, शनिवार/ भाद्र 2—भाद्र 8, 1947

No. 30]

NEW DELHI, AUGUST 24—AUGUST 30, 2025, SATURDAY/ BHADRA 2—BHADRA 8, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 141.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 1988 (दूसरा संशोधन), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लेखा-सह-भंडार अधिकारी, प्रशासनिक-सह-क्रय और विक्रय अधिकारी तथा कार्यालय अधीक्षक (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 को, जहां तक उनका संबंध मुख्य प्रशासनिक-सह-वित्त अधिकारी, प्रशासनिक-सह-क्रय और विक्रय अधिकारी/लेखा-सह-भंडार अधिकारी एवं कार्यालय अधीक्षक के पदों से हैं, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय

शर्करा संस्थान, कानपुर में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक-सह-क्रय और विक्रय अधिकारी/लेखा-सह-भंडार अधिकारी और कार्यालय अधीक्षक (समूह 'क' और 'ख' पद) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, मुख्य प्रशासनिक-सह-वित्त अधिकारी, प्रशासनिक-सह-क्रय एवं विक्रय अधिकारी/लेखा-सह-भंडार अधिकारी एवं कार्यालय अधीक्षक, (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं आदि— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता— वह व्यक्ति —

(अ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह कि संविदा की है; या

(ब) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, किसी भी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों कि बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और आने रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
मुख्य प्रशासनिक सह वित्त अधिकारी	01* (2025) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसूचिवीय	स्तर 12 (रु. 78,800-2,09,200) में

चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अहर्ताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	मिश्रित पद्धति - प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त और वैधानिक संगठन, पीएसयू, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700 - 15530 रुपये) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस पद पर पांच वर्ष की सेवा है; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हो: अनिवार्य- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री; (ii) प्रशासन, स्थापना और लेखा मामलों में दस वर्ष का अनुभव। वांछनीय- (i) प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुसंधान संस्थान का प्रशासनिक अनुभव। टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700 - 155300 रुपये) में विभागीय ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं, पर बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभाग के अभ्यर्थी का पद पर नियुक्ति के लिए चयन किया जाता है; तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना है:	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)
(2) लेखा-सह-भंडार अधिकारी	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर भिन्नता हो सकती है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।
प्रशासनिक-सह क्रय एवं विक्रय अधिकारी	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर भिन्नता हो सकती है।	

(4)	(5)	(6)
स्तर 7 (रु. 44,900-1,42,400/-)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)	प्रोन्नति- वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (रु. 35,400-1,12,400/-) में ऐसे कार्यालय अधीक्षक जिन्होंने ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रशासन / स्थापना / लेखा के क्षेत्र में सफलतापूर्वक दो सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। टिप्पण – जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हों और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र, स्वायत्त या वैधानिक संगठनों, पीएसयू, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी: (क)(i) जो मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (रु. 35,400-1,12,400/-) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा कि हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हैं: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री। (ii) प्रशासन या स्थापना या लेखा संबंधी तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 – पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2—प्रतिनियुक्ति अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी आने संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: - 1. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -अध्यक्ष 2. प्रोफेसर श्रेणी का एक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य 3. निदेशक / उप सचिव (शर्करा प्रशासन), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)
(3) कार्यालय अधीक्षक	06* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसूचित

(4)	(5)	(6)
स्तर 6 (रु. 35,400-1,12,400/-)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)	प्रोन्नति- वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (रु. 25,500-81,100/-) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा और प्रशासन, स्थापना और लेखा के क्षेत्र में सफलतापूर्वक दो सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण पूरा किया हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या वैधानिक संगठनों, पीएसयू, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी (क)(i) जो मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 /-) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की सेवा की हो; या (ii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (रु. 25,500-81,100/-) में नियमित

	आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात दस वर्ष की सेवा की हो; और (ब) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता योग्यता और अनुभव रखते हो : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री। (ii) प्रशासन या स्थापना या लेखा मामलों का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2—प्रतिनियुक्ति अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी आने संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु)- 1. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -अध्यक्ष 2. प्रोफेसर के ग्रेड में एक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर-सदस्य 3. सहायक प्रोफेसर के ग्रेड में एक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने हेतु): - 1. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -अध्यक्ष 2. प्रोफेसर के ग्रेड में एक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य 3. सहायक प्रोफेसर के ग्रेड में एक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है

[फा. सं. ए-12018/2/2024- एसए]

अनिल कुमार गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 22nd August, 2025

G.S.R. 141.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1988 and Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Kanpur Senior Administrative Officer, Administrative-cum-Purchase and Sales Officer/ Accounts-cum-Store Officer, Office Superintendent (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules 2017, in so far as they relate to the posts of Chief Administration-cum-Finance Officer, Administrative-cum-Purchase and Sales Officer/ Accounts-cum-Store Officer, Office Superintendent except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chief Administration-cum-Finance Officer, Administrative-cum-Purchase and Sales Officer/ Accounts-cum-Store Officer, Office Superintendent at Administrative Division in the National Sugar Institute, Kanpur under the Ministry of Consumer

Affairs, Food and Public Distributions, Department of Food and Public Distribution namely :-

1. **Short title and commencement.** –(1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Chief Administration-cum-Finance Officer, Administrative-cum-Purchase and Sales Officer/ Accounts-cum-Store Officer, Office Superintendent, (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** –The number of said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**– The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** -Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with UPSC relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.** -Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
(1) Chief Administrative & Finance Officer	01* (2025) * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 12 in the pay matrix (Rs. 78,800-2,09,200)

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Composite Method: Promotion/ Deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	
(11)	
Promotion/ Deputation (including Short Term Contract): Officers of the Central Government, State Government, Union territories, autonomous and statutory organisation, PSUs, University or Recognised Research Institution: (a)(i) Holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-11 of pay matrix (Rs 67700 - 155300) or equivalent in the parent cadre or department; and ((b) possessing the following educational qualifications and experience: Essential: (i) Master's degree in any discipline from a recognised University or Institute; (ii) ten years' experience of administration, establishment and accounts matters. Desirable: (i) Administrative experience of a training, teaching and research institute. Note 1: The departmental Senior Administrative Officer in the level 11 of the pay matrix (Rs. 67700 – 155300) with five years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the department candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as have been filled by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.	

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)
(2) Accounts-cum-Store Officer	01* (2025) * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.
Administrative-cum-Purchase and Sales Officer	01* (2025) * Subject to variation dependent on work-load.	

(4)	(5)	(6)
Level 7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-)	Selection post	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable
(10)	(11)	

By Promotion failing which by Deputation (including Short-Term Contract).	Promotion: Office Superintendent in level 6 (Rs. 35,400-1,12,400/-) in the pay matrix with five years of regular in the grade and having successfully completed two weeks mandatory training in the field of administration/ establishment/ accounts. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years', whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including Short-Term Contract): Officers of the Central Government, State Governments, Union territory Administrations, autonomous or statutory organisations, PSUs, University or Recognised Research Institution: (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 6 (Rs. 35,400-1,12,400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree in any discipline from a recognised University or Institute. (ii) Three years' experience of administration or establishment or accounts matters. Note 1: The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of the receipt of applications.
---	--

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of: - 1. Director, National Sugar Institute, Kanpur -Chairman 2. An officer in the grade of Professor, National Sugar Institute, Kanpur -Member 3. Director/Deputy Secretary (Sugar Administration), Department of Food and Public Distribution - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)
(3)OfficeSuperintendent	06* (2025) * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.

(4)	(5)	(6)
Level 6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400/)	Selection post	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years

(10)	(11)
Promotion failing which Deputation (including Short-Term contract.)	Promotion: Upper Division Clerk in level 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100/-) with ten years' regular in the grade and having successfully completed two weeks mandatory training in the field of Administration, Establishment and Accounts. Deputation (including Short-Term Contract): Officers of the Central Government, State Governments, Union territory, autonomous or statutory organisations, PSUs, University or Recognised Research Institution: (a)(i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 5 of the pay matrix (Rs. 29,200-92,300/-) in the parent cadre or department; or (ii) with ten years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100/-) in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree in any discipline from a recognized University or Institute. (ii) Two years' experience of administration or establishment or accounts matters. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 4: The Maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (For Considering Promotion): - 1. Director, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman 2. An officer in the grade of Professor, National Sugar Institute, Kanpur - Member 3. An officer in the grade of Assistant Professor, National Sugar Institute, Kanpur - Member Group 'B' Departmental Confirmation Committee (For Considering Confirmation): - 1. Director, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman 2. An officer in the grade of Professor, National Sugar Institute, Kanpur - Member 3. An officer in the grade of Assistant Professor, National Sugar Institute, Kanpur - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/2/2024-SA]

ANIL KUMAR GUPTA, Under Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय**(विधि कार्य विभाग)**

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 142.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में (स्टाफ कार चालक) भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिसे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में स्टाफ कार चालकों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, स्टाफ कार चालक भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी)।	01 *(2025) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु.)।	अचयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200 – 92,300 रु.) में ऐसे स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप सचिव या निदेशक भारसाधक (प्रशासन) विधि कार्य विभाग - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव, भारसाधक (प्रशासन) विधि कार्य विभाग - सदस्य; 3. सहयोजित सदस्य, जो अधिमानत : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो जो अवर सचिव या सहायक विधि सलाहकार की पंक्ति का हो। -सदस्य।	लागू नहीं होता।

अर्हक या पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति) :पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए (जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. उप सचिव या निदेशक भारसाधक (प्रशासन) विधि कार्य विभाग - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव, भारसाधक (प्रशासन) विधि कार्य विभाग — सदस्य; 3. सहयोजित सदस्य, जो अधिमानत : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो जो अवर सचिव या सहायक विधि सलाहकार की पंक्ति का हो। -सदस्य।	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टाफ कार चालक श्रेणी - I।	05 *(2025) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29,200-92,300 रु.)।	अचयन।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 4 (25,500 – 81,100 रु.) में ऐसे स्टाफ कार चालक (श्रेणी -II) जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार चालक (श्रेणी II) और स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) में पंद्रह वर्ष की सम्मिलित सेवा की हो और केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप सचिव या निदेशक भारसाधक (प्रशासन) विधि कार्य विभाग -अध्यक्ष; 2. अवर सचिव, भारसाधक (प्रशासन) विधि कार्य विभाग- सदस्य ; 3. सहयोजित सदस्य, जो अधिमानत : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो जो अवर सचिव या सहायक विधि सलाहकार की पंक्ति का हो। -सदस्य।	लागू नहीं होता।

सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार चालक श्रेणी III	04 *(2025) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25,500-81,100 रु.)।	अचयन।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 2 (19,900-63,200 रु.) में ऐसे स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो और केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप सचिव या निदेशक भारसाधक (प्रशासन) विधि कार्य विभाग - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव, भारसाधक (प्रशासन) विधि कार्य विभाग- - सदस्य; 3. सहयोजित सदस्य, जो अधिमानतः अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो जो अवर सचिव या सहायक विधि सलाहकार की पंक्ति का हो। -सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)।	04 *(2025) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्र सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900-63,200 रु.)।	लागू नहीं होता।	18 और 25 वर्ष के बीच *(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी) और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख

					संघ राज्यक्षेत्र का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप या संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। * यदि सीधी भर्ती खुली प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा कराई जाती है तो आयुसीमा 18 और 27 वर्ष होगी।
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) मोटरकारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति का होना; (ii) मोटर यंत्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने के योग्य होना चाहिए); (iii) मोटर कार चालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; और (iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। वांछनीय : होमगार्ड या सिविल रक्षा स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष सेवा। टिप्पण 1. अनुभव संबंधी अर्हता, सक्षम विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2.- अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में यदि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती या पुनर्नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन : विधि कार्य विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर -1 (18,000-56,900/रु) में नियमित सवार हरकारा(समूह 'ग') और समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिसके पास मोटर कार चलाने की सक्षमता के लिए चालन परीक्षा के आधार पर मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स में नियमित आधार पर सवार हरकारा या नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों का पद धारण करने वाले पदधारियों में से जो स्तंभ (7) में यथा उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हों। भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति) :पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए (जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. उप सचिव या निदेशक भारसाधक (प्रशासन) विधि कार्य विभाग - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव, भारसाधक (प्रशासन) विधि कार्य विभाग- - सदस्य; 3. सहयोजित सदस्य, जो अधिमानतः अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति	लागू नहीं होता।

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है: तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	का हो जो अवर सचिव या सहायक विधि सलाहकार की पंक्ति का हो -सदस्य।	
---	--	--

[फा. सं. ए-12026/12/2013- प्रशा.1(एलए)-भाग(3)-भाग(1)]

राजीव कुमार, उप सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 30th July, 2025

G.S.R. 142.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, (Staff Car Drivers) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Drivers in the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, Staff Car Drivers Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc..** - The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Staff Car Driver (Special Grade).	1* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix.	Non-selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years.	By promotion.	Promotion: Staff Car Driver (Grade-I) in level 5 (Rs. 29,200-92,300) in the pay matrix with three years of regular service in the grade. Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Deputy Secretary or Director in-charge (Administration) in the Department of Legal Affairs – Chairman; 2. Under Secretary in-charge (Administration) in the Department of Legal Affairs – Member;	Not applicable.

3. Co-opted Member preferably belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe of the rank of Under Secretary or Assistant Legal Adviser - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Deputy Secretary or Director in-charge (Administration) in the Department of Legal Affairs - Chairman; 2. Under Secretary in-charge (Administration) in the Department of Legal Affairs - Member; 3. Co-opted Member preferably belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe of the rank of Under Secretary or Assistant Legal Adviser - Member.	
---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Staff Car Driver Grade-I.	5 * (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix.	Non-selection.

(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion.	Promotion: Staff Car Driver Grade-II in pay level-4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test, specified by the Central Government. Note.-Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Deputy Secretary or Director in-charge (Administration) in the Department of Legal Affairs - Chairman; 2. Under Secretary in-charge (Administration) in the Department of Legal Affairs - Member; 3. Co-opted Member preferably belonging to the Scheduled Caste or Scheduled tribe of the rank of Under Secretary or Assistant Legal Adviser - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Staff Car Driver Grade-II.	4 * (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix.	Non-selection.

(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion.	Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in pay level-2 (Rs.19,900-63,200) in the pay matrix with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Central Government. Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Deputy Secretary or Director in-charge (Administration) in the Department of Legal Affairs – Chairman; 2. Under Secretary in-charge (Administration) in the Department of Legal Affairs – Member; 3. Co-opted Member preferably belonging to the Scheduled Caste or Scheduled tribe of the rank of Under Secretary or Assistant Legal Adviser - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	4 * (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs.19,900-63,200) in the pay matrix.	Not applicable.

(6)	(7)	(8)
Between 18 and 25 Years* (Relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall	Essential: (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for	Not applicable.

be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep). *If the direct recruitment is to be made by direct open competitive examination, the age limit shall be 18 and 27 years.	at least three years; and (iv) Pass in 10th Standard. Desirable: Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. Note 1.-The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority. Note 2.-In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	
---	--	--

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits or re-employed.	By deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.	Deputation/Absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group 'C' employees in pay level-1 (Rs.18,000-56,900) in the pay matrix in the Department of Legal Affairs who possess valid Driving License for motor cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive motor cars failing which from the officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in pay matrix in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years and the maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Secretary or Director in-charge (Administration) in the Department of Legal Affairs – Chairman; 2. Under Secretary in-charge (Administration) in the Department of Legal Affairs – Member; 3. Co-opted Member preferably belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes of the rank of Under Secretary or Assistant Legal Adviser – Member.	Not applicable.

[F. No. A.12026/12/2013-Admn.1(LA)-Part(3)-Part (1)]

RAJEEV KUMAR, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 143.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह “ग” पद भर्ती) नियम, 1981 को, जहां तक उनका सम्बन्ध आशुलिपिक ग्रेड “घ” के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में आशुलिपिक श्रेणी-1 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, आशुलिपिक श्रेणी-1 (समूह ‘ख’ पद), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**.- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी-1	15* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400 रु.)।	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी - 2 जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) द्वारा संचालित या	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

मन्त्रालय या विभाग द्वारा विहित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक का पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (25500-81100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात दस वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य- पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	1. प्रधानाचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 3. उप निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. प्रधानाचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 3. उप निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -सदस्य।	
---	---	--

[फा. सं. ए.11018/31/2003-आरआर-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 21st August, 2025

G.S.R. 143.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Group 'C' posts), Recruitment Rules, 1981, in so far as it relates to the post of Stenographer Grade 'D', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-I in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi under the Ministry of Health and Family welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Stenographer Grade I (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** -The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** -The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. -No person, -

who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Stenographer Grade-I	15* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation.	Promotion: Stenographers Grade-II in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade and having successfully completed at least two weeks training conducted by the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) or to be prescribed by Ministry or Department. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility

			service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers holding the post of Stenographer under the Central Government - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Principal, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairperson; 2. Deputy Director (Concerned), Directorate General of Health Services -Member;	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

3. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member.	
Group 'B' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:	
1. Principal, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairperson;	
2. Deputy Director (Concerned), Directorate General of Health Services -Member;	
3. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member.	

[F. No. A.11018/31/2003-RR-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 144.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (तृतीय वर्ग के पद) भर्ती नियम, 1973 को, सिवाए उन बातों के अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, में शिक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, शिक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शिक्षक	02* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (25500-81100) रुपये।	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के मामले में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु-सीमा अवधारित करने हेतु निर्णायक होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण में डिप्लोमा। टिप्पण 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में सक्षम प्रधिकारी अथवा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। टिप्पण 2: अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर सक्षम प्रधिकारी अथवा कर्मचारी चयन आयोग का यह समाधान होता है, कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखते सम्बंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्रधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अनुभव सम्बंधी अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण : परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या सर्वजनिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी;-- (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किया हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 में (21700-69100 रुपये) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में (19900-63200 रुपये) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यता और अनुभव जो स्तम्भ (7) के अधीन रखते हों। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल -अध्यक्ष; - संबंधित उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; - उप निदेशक प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए. 11018/40/2024-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 21st August, 2025

G.S.R. 144.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital, (Class III posts) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Teacher, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Teacher in the Ministry of Health and Family Welfare, in the Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Teacher (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. — The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Teacher.	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to forty years in the case of general candidates and up to the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12th class pass from a recognised Board; and (ii) Diploma in teacher training from a recognised institution. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities	Not applicable.

	possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	
--	--	--

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation, absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By deputation (including short-term contract), failing which by direct recruitment.	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous, or Statutory organisation or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment thereto on a regular basis in level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with eight years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Chairperson; 2. Deputy Director (Concerned) in Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A. 11018/40/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.